

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज0)

श्रीमती तारा देवी बनाम सुदर्शन व अन्य

Online No. 2022/524

मुकदमा 368/2022

धारा 111-128 एल0आर0ए

14/10/2022 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीया अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीया अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय संलग्न है। प्रकरण निर्णित शुमार हो, नम्बर से कम किया जावे।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी ओम प्रभा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर- 368/2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. श्रीमती तारा देवी पुत्र श्री जीवन सिंह निवासी राजेन्द्र मार्ग रोड, भीलवाडा-राज0
2. पुर्णन्दु पुत्र श्री जीवन सिंह महाजन निवासी राजेन्द्र मार्ग रोड, भीलवाडा-राज0

-प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री सुदर्शन पीपाड़ा निवासी पीपाड़ा भवन, सेशन कोर्ट रोड, भीलवाडा-राज0
2. नगर विकास न्यास, भीलवाडा जरिये सचिव नगर विकास न्यास, भीलवाडा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भीलवाडा-राज0

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 04.10.2022


उपस्थित-1- राकेश जैन- प्रार्थी अधिवक्ता

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम गठीलाखेड़ा, पटवार हल्का गठीलाखेड़ा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटूण, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 700 रकबा 2.2002 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 700/1 रकबा 0.0253 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.2255 हैक्टेयर भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया। जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ग्राम गठीलाखेड़ा, पटवार हल्का गठीलाखेड़ा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटूण, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 700 रकबा 2.2002 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 700/1 रकबा 0.0253 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.2255 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होकर खातेदार है। प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नही होते हैं तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतःएवं

// आदेश //

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम गठीलाखेड़ा, पटवार हल्का गठीलाखेड़ा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटूण, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 700 रकबा 2.2002 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 700/1 रकबा 0.0253 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.2255 हैक्टेयर भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। राजकीय पत्थरगढी शुल्क 450/- रुपये तहसीलदार भीलवाडा के यहाँ संबंधित मद में प्रार्थी जमा करावे। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक आटूण 500/-रुपये (पांच सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हे मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

करावे। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थी की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। यदि प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावे।

अतः भू0अ0नि0 आदूण जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थी व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे।

पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार भीलवाडा को पालना हेतु लिखा जावे।




(ओम प्रमा)

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

निर्णय आज दिनांक 4/10/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में

सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा